आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
10/7/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा** **जिला विधि प्रशाखा** **आपूर्त्ति अपील संख्या 127/2011** **रामनाथ पंडित बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** संदर्भित अपील आवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं0 4592/2014 रामनाथ पंडित बनाम राज्य एवं अन्य में दिनांक 12.5.2014 को पारित आदेश से संबंधित है। उक्त रिट याचिका अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर के आदेश ज्ञापांक 1044/आपूर्ति दिनांक 22.11.2011 के विरूद्व वाद दायर किया गया है। दायर अपील वाद की सुनवाई की गयी। वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा के द्वारा गठित पंचायत वार जॉच दल द्वारा दिनांक 25.10.2011 रामनाथ पंडित, जन वितरण प्रणाली विकेता, ग्राम पंचायत–हरिहरपुर, प्रखंड–दरियापुर के दुकान की जॉच की गयी थी। जॉच के कम में खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित नहीं था, कैशमेमो नहीं दिया जाता है, शिकायत पुस्तिका संधारित नहीं था एवं उठाव की सूचना/सत्यापन जनप्रतिनधि से नहीं कराया गया। इस संबंध में विकेता से स्पष्टीकरण की मॉग की गयी थी। विकेता के द्वारा प्राप्त कराए गए स्पष्टीकरण पर प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकारी, सोनपुर से मंतव्य की मॉग की गयी। प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकार, सोनपुर ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया था कि विकेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2001 तथा संशोधित 2011 के प्रावधानों, अनुज्ञप्ति शर्त्तों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट याचिका 196/2001 में दिनांक 2.5.2003 को पारित न्यायादेश की कंडिका 1(ए) की स्पष्ट अवहेलना एवं उक्त प्रावधान के आलोक में अनुज्ञप्ति रद्द करने का निदेश है। निरीक्षी पदाधिकारी के निरीक्षण प्रतिवेदन तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनपुर के मंतव्य के आलोक में विकेता के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए विकेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। अनुज्ञप्ति रद्द करने संबंधी प्रश्नगत आदेश को चुनौती देते हुए उपस्थित अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बतलाया गया कि अपीलार्थी अपने दुकान में खाद्यान्न का नमूना एवं भंडार सामने रखा हुआ था। जॉच पदाधिकारी ने स्वयं उस भंडार का निरीक्षण किया था तथा उसे ठीक पाया था। अगर भंडार में कमी रहती या कोई गड़बड़ी रहती तो उनके द्वारा अपने निरीक्षण प्रतिवेदन में इसका उल्लेख अवश्य किया गया	

होता। प्रत्येक संबंधित उपभोक्ताओं को विक्रय किए गए सामाग्रियों का कैशमेमो दिया जाता है, जिसकी छायाप्रति संलग्न की गई है। यह भी बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता अपने दुकान से शिकायत पुस्तिका हमेशा उपलब्ध रखता है। चूँकि अपीलकर्त्ता के वितरण व्यवस्था से सभी संबंधित उपभोक्ता संतुष्ट रहते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई शिकायत ही नहीं रहती थी, तो ऐसे में शिकायत पुस्तिका में किसी की कोई शिकायत करने की आवश्यकता ही नहीं हुई। यह भी बतलाया गया कि अपीलकर्त्ता सामाग्रियों के उठाव के पश्चात् उसकी सूचना जन प्रतिनिधियों को दी जाती है तथा उनसे सत्यापन भी कराया जाता है, जिसकी छायाप्रति स्पष्टीकरण के साथ दी गयी है। यह भी बतलाया गया कि दिनांक 25.10.11 को विक्रेता के दुकान की जॉच का समय नहीं दिया गया है, जबकि अपीलार्थी प्रतिदिन कार्य दिवस को समय पर प्रतिष्ठान को खोलकर संचालित किया करता था।। विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति बहाल करने हेतु अनुरोध किया गया।

सरकार का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक के द्वारा बतलाया गया कि विक्रेता पर जो आरोप लगाया गया है, वह अनुज्ञप्ति की शर्त्तों, विभागीय दिशा–निर्देशों के उल्लंघन का परिचायक है।

उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के परिसीलन से पाया गया कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा अपीलार्थी से खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित नहीं करना, शिकायत पुस्तिका संधारित नहीं करना, कैशमेमो नहीं देना तथा उठाव की सूचना/सत्यापन जनप्रतिनिधि से नहीं कराने के संबंध में कारणपृच्छा की गयी। अपीलार्थी के द्वारा अपने जवाब में उक्त सभी आरोपों को गलत बताते हुए अंकित किया गया है कि उनके द्वारा खाद्यान्न का नमूना प्रदर्शित किया गया है, नियमित रूप से प्रत्येक माह का कैशमेमो निर्गत किया जाता है, विधिवत् रूप से संधारित की गयी है एवं खाद्यान्न एवं किरासन तेल के उठाव की सूचना जनप्रतिनधिनियों को प्रतिमाह दी जाती है। अनुज्ञापन पदाधिकारी का आरोप प्रमाणित नहीं होता है। अनुज्ञापन पदाधिकारी, सोनपुर के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश एक speaking order नहीं है। अतः इसे रिमांड किया जाता है।
वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक 844 दिनांक 26/7/2014
प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को LCR मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि – NIC पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरीय उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
सारण, छपरा।